रजिस्ट्रेशन संख्या :- R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :- Kanpur City - 67/2018-20

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

वर्ष -40 ● अंक -16 ● कानपुर 16 से 31 अगस्त 2018 ● प्रधान सम्पादक - डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य -₹100

स्थानीय पंजीयन न होने से

पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथों में आक्रेश

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है अधिकार पूर्वक इस चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय किया जा सकता है, बशर्ते ! जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा हो वह उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन कर रहा हो, जो लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए इस पर अभी कोई कानून प्रभावी नहीं है यह नितान्त भ्रामक व असत्य है क्योंकि चिकित्सा राज्य का विषय होता है और जो चीज जहाँ से नियन्त्रित की जाती है उसे वहीं से नियन्त्रित होने के लिए प्रयास करने चाहिये यह सत्य है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान के लिए स्पष्ट आदेश कर दिये हैं लेकिन यह भी जानना चाहिये कि केन्द्र सरकार आदेश करती है और राज्य सरकार आवश्यकता-नुसार जनहित में उनका अनुपालन करती है। आपको बताते चलें कि चिकित्सा व्यवस्था को गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए 18 अगस्त, 2010 को केन्द्र सरकार द्वारा क्लिनिकल स्टेबलिशमेन्ट एक्ट नामक अधिनियम बनाया गया था जिसे हर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने यहाँ लागू करना था।

8 वर्ष बीत जाने के बाद अभी भी देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में यह कानून प्रभावी नहीं है ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का आदेश 21 जून, 2011 को जारी हुआ था इस आदेश का पालन भी देश के हर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश को अनुपालन हेतु निर्देश भी हैं 7 साल बीत जाने के बाद देश के एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश में ही इस आदेश का क्रियान्वयन हो सका है 11 राज्यों में इस आदेश के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बड़ी सुस्त गति से चल रही है।

शेष राज्यों ने अभी इस आदेश के क्रियान्वयन की पहल तक भी नहीं की है। ऐसे में हम सब लोगों को इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिये । ऐसा इसलिए होना चाहिये क्योंकि जब तक प्रत्येक राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के लिए राज्य स्तरीय आदेश जारी नहीं होते हैं तब तक उस राज्य में स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य नहीं किया जा सकता है और जब तक चिकित्सक को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है तब तक अपनी निजी क्षमतानुसार कार्य नहीं कर सकता है और वह कार्य पूरी क्षमता के साथ नहीं किये जाते निश्चित रूप से उन कार्यों के परिणाम भी कभी अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं।

आज की तिथि में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ऐसे कार्य किये जायें जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़े उदाहरण स्वरूप रोग से पीड़ित मनुष्य की एक मात्र इच्छा यही होती है कि शीघ्र से शीघ्र वह जिस चिकित्सक से चिकित्सा ले रहा है वह उसे रोगमुक्त करे, पैथी के बारे में तभी रोगी की अच्छी राय बनती है। एक बात तो बहुत सामान्य है वह यह है कि रोगी अपने चिकित्सक के पास पूरे भरोसे के साथ जाता है और वह विश्वास रखता है कि उसका चिकित्सक उसे शीघ्र रोगमुक्त करके आराम दिलायेगा। जब रोगी को आराम मिल जाता है तब वह जहाँ कहीं भी जाता है अपने चिकित्सक और उसके द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली चिकित्सा पद्धति की प्रशंसा करते नहीं थकता है, यह सब बातें सुनने और कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन मूल रूप में उन्हें पाने के लिए जो करना पड़ता है वह शायद न तो हमारे द्वारा किया जाता है और न संस्थाओं द्वारा, आज हर व्यक्ति प्रगति की अन्धी दौड़ में दौड़ा जा रहा है सफलता मिले ! कैसे मिले ?इसके लिए कोई व्यवस्था निर्मित नहीं है और जब बिना व्यवस्थाओं के सफलता प्राप्त का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तब ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति संदिग्ध रहती है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी निर्विवाद रूप से अधिकार प्राप्त है परन्तु अपने अधिकारों को हम कैसे उपभोग करें ?यह जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं आज महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से लगातार सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि इन दोनों राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाण पत्र धारकों की क्लिनिकों पर छापे पड़ रहे हैं और उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा रही है। निश्चित रूप से जब इस तरह के समाचार हमारे पास आते हैं तो कष्ट होता है लेकिन जब हम उनके मूल कारणों पर जाते हैं और जो तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर वह तथ्य चिन्तनीय होते हैं हम पिछले कई वर्षों से पूरे देश को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता को समझें और उसी के अनुसार आचरण करें सब लोगों को यह पता होना चाहिये कि चिकित्सा करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन होता है अर्थात जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है उसे उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करना ही होता है।

आज यह मूल समस्या है कि भारत वर्ष के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थानीय पंजीयन किसी न किसी रूप में अवश्य लागू है, उसका स्वरूप चाहे जो हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ विडम्बना यह है कि आज भी राज्य स्तरीय परिषदों की तुलना में केन्द्रीय परिषदों का दबदबा ज़्यादा है जब कि राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे अपने राज्य में विधि सम्मत ढंग से स्थापित राज्य स्तरीय परिषद में पंजीयन होना चाहिय, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को लगातार परेशान कर रहा है आज भी देश में ऐसी कुछ संस्थायें हैं जो राष्ट्रीय पंजीकरण के आधार पर ही पूरे देश में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान करती हैं और अपने इस दावे के पक्ष में यह तर्क देती हैं कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक राज्य स्तरीय पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सत्य यह है कि जो संस्थायें केन्द्रीय पंजीयन की वकालत करती हैं और केन्द्रीय पंजीयन के पक्ष में तथ्य देती हैं वे यथार्थ के धरातल से बिल्कुल अलग होती हैं जो संस्थायें केन्द्रीय अधिकार की बात करती हैं उन्हें चाहिये कि वे अपने विचारों को वैधानिकता के तराजू पर रखकर तौलें फिर यह तय करें राज्य स्तरीय पंजीयन की आवश्यकता है कि नहीं ?

- स्थानीय पंजीयन को दें प्रमुखता
- पूरे मनोबल के साथ करें चिकित्सा
- सामूहिक रूप से करें प्रतिरोध
- अपनी प्रस्तुति इलेक्ट्रो होम्योपैथ के रूप में करें
- वैधानिकता को दें प्रमुख स्थान

मान्यता और पंजीयन

शेष अंतिम पेज पर

भ्रम पालते लोग

इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज सर्वाधिक भ्रमपूर्ण स्थिति से गुज़र रही है जिसके कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वह विकास नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिये देश और राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में आदेश सात वर्ष से ज्यादा का समय पूरा कर चुके हैं लेकिन इतनी लम्बी अवधि के बावजूद भी अभी तक हमारे चिकित्सक के मध्य जो चेतना जाग्रत होना चाहिए उसका सर्वथा अभाव है और इसी कारण चिकित्सक तो चिकित्सक संचालकों के मध्य भी आत्म विश्वास का भाव पैदा नहीं हो पा रहा है।

जब व्यक्ति में आत्म विश्वास की कमी होती है तो वह पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता है यहीं पर यह बताना उचित होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी एक तरह का भ्रम नहीं है ! लोगों में तरह–तरह के भ्रम हैं और यह भ्रम चन्द लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है अब यह भ्रम इस कदर फैल चुका है कि लोगबाग उबरने का प्रयास भी करते हैं तो वह अपने आप को मकड़जाल में फंसा हुआ पाते हैं , कुछ भ्रमों के बारे में हम आपको कई बार जानकारियां दे चुके हैं और हम लगातार यह प्रयास भी करते रहते हैं कि हमारे चिकित्सकों का भ्रम के चलते हुए किसी तरह का कोई नुकसान न होने पाये, सबसे बड़ा भ्रम वर्तमान में चिकित्सकों के मध्य मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन को लेकर है बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा चिकित्सकों को जागरूक करने के लिए 5 अप्रैल, 2015 से लगातार प्रदेश स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में काफी संख्या में चिकित्सक भी जुडे, मनोयोग से बात भी सुनी, लेकिन जैसे ही वे अकेले पड़े उनकी मनास्थिति बदल गयी और **जागरूकता को** कई कदम पीछे छोड़ गये जिससे कि जो सफलतायें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पायी हैं। जब हम वस्तुस्थिति से स्वयं को अवगत कराते हैं तो जो तथ्य सामने उबर कर आते हैं वह काफी मनोरंजक व रोचक होते हैं हमने इसे कभी भी हलकेपन से नहीं लिया क्योंकि मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन का कार्यक्रम सम्पादित होना बहुत आवश्यक है यदि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना है तो अपनी चिकित्सा व्यवसाय से सम्बन्धित सूचना सी0एम0ओ0 कार्यालय को देनी आवश्यक है पंजीकरण संख्या मिलना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि आवेदन प्रेषित करना ,जो लोग यह भ्रम पाले हैं कि सी0एम0ओ0 कार्यालय में पंजीयन सिर्फ मान्यता प्राप्त पद्धतियों का होना है उन्हें अपनी मानसिकता में सुधार करना चाहिये और यह समझना चाहिये कि पंजीयन का मान्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है यह पंजीयन सिर्फ अधिकृत व अनाधिकृत के मध्य में भेद पैदा करता है यदि हम पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो स्वंय को अनाधिकृत की श्रेणी में डाल देते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज स्थिति यह है कि यहाँ दो तरह की संस्थायें है एक अधिकार प्राप्त दूसरी वह जो अभी भी अधिकार प्राप्त करने के लिए तालाश में हैं ऐसे लोग भी तरह–तरह के भ्रम फैला रहे हैं भ्रम फैलाने वालों का इससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा लेकिन जो चिकित्सक है वह अवश्य परेशान होगा, हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिये कि भारत सरकार द्वारा चिकित्सा व्यवसाय हेतु क्लिीनिकल स्टेबलिशमेन्ट एक्ट नामक कानून बनाया गया है जिसे हर राज्य को अपने यहां लागू करना है यह सच है कि अभी तक प्रदेश में यह लागू नहीं है लेकिन वर्तमान सरकार ने इस एक्ट को प्रदेश में लागू करने का मन बना लिया है जिस दिन भी यह एक्ट प्रदेश में प्रभावी हो जायेगा उस दिन सिर्फ वही चिकित्सक प्रदेश में चिकित्सा कार्य हेतु वैध रहेंगे जिन्होंने पहले से ही अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दे रखा है जिन्होंने पंजीयन के लिए अभी भी आवेदन नहीं किया है वह चिकित्सक सारे भ्रमों से दूर रहकर सिर्फ अपने हित के लिए अपना आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में प्रेषित कर दें क्योंकि प्रैक्टिस आप करते हैं भ्रम फैलाने वाले नहीं, जो भ्रम फैला रहे हैं वह फैलाते रहेंगे यदि आप भ्रम में

कार्यवाही का डटकर करें मुक़ाबला

आजकल पूरे प्रदेश में एक बार फिर स्थानीय प्रशासन द्वारा झोलाछाप चिकित्सकों के विरूद्ध अभियान बड़ी तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है इसकी सूचनायें विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं इन कार्यवाहियों में एक बात प्रमुख रूप से उभर कर आ रही है कि जो चिकित्सक झोलाछाप की श्रेणी में चिन्हित किये जा रहे हैं उनके विरूद्ध एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक ने अपने चिकित्सा कार्य करने हेतु सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को नहीं दी है दूसरे शब्दो में प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक द्वारा अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है। यह एक ऐसी आपत्ति है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि यह आरोप हमें झोलाछाप की श्रेणी से अलग करता है आपको यह बात पुनः जान लेनी चाहिये कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपने पंजीयन का आवेदन हर शिक्षित, प्रशिक्षित व प्राधिकृत चिकित्सक को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो चिकित्सक ऐसा नहीं करेंगे भले ही वह मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक ही क्यों न हों स्वतः झोलाछाप की श्रेणी में आ जायेंगे अर्थात अब उत्तर प्रदेश में बिना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन के आवेदन के बिना चिकित्सा व्यवसाय नहीं किया जा सकता है।

विगत अनेक वर्षों से बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया लगातार अपने स्तर से हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक को बताने का प्रयास कर रहा कि स्थानीय पंजीयन की महत्ता क्या है ?और इसकी उपयोगिता क्या है ?हम प्रयास पर प्रयास निरन्तर कर रहे हैं कि हर एक चिकित्सक तक यह जानकारी पहुँचे, लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों इसलिए बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने गत 5 अप्रैल, 2015 से पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को जागरूक करने के लिए चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चला रहा है इस अभियान के द्वारा अब तक 19 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित भी किये जा चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे हमारी योजना है कि हम हर जनपद के तहसील स्तर तक इस अभियान को पहुचायें ताकि वह चिकित्सक जो सूचनाओं से दूर हैं वह भी सूचित हों और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति को समझें तथा अपने अधिकारों के प्रति आश्वस्त हों।

आज भी हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक ऐसे हैं जो अपने अधिकारों से अवगत नहीं हैं वह अभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में बड़ी तेज़ी के साथ उभर रही है और हमारे चिकित्सक अपनी पूरी योग्यता के साथ अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वहीं कुछ चिकित्सक ऐसे भी हैं जो प्राप्त अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या जानबूझ कर समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हम बिना किसी आलोचना की परवाह किये सतत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा चिकित्सक जागरूक हो।

जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि किसी वास्तविक झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ़ कार्यवाही हो तो कार्यवाही उचित लगती है लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जो कि शिक्षित, प्रशिक्षित व पंजीकृत है तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है और वह झोलाछाप की कार्यवाही में फंस जाता है तो बहुत कष्ट होता है क्योंकि झोलाछाप की कार्यवाही समाज में आपकी प्रतिष्ठा को गिराती है और जिस कार्यवाही के आप पात्र नहीं हैं वह जरा सी नादानी/लापरवाही के कारण आपके ऊपर हो जाती है, तो निश्चित तौर पर विषय कष्ट का होता है, हमने जहाँ कहीं भी जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम किये हैं वहां पर एक ही बात हम बार–बार दोहरा रहे हैं कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को चाहिये कि वह अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य प्रेषित करे कुछ लोग हमारी बात से सहमत होते हैं और कुछ लोग हमारी सलाह का मज़ाक भी उड़ाते हैं, कहीं– कहीं तो यह आरोप भी लगाये जाते हैं कि बोर्ड द्वारा यह अभियान अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है जब इस तरह के बेबुनियाद तर्क हमारे पास आते हैं तो हमें कष्ट तो नहीं होता है बल्कि तरस आता है उन लोगों की ओछी मानसिकता पर जो इतने निम्न स्तर के विचार रखते हैं यहाँ पर हम यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे कि बोर्ड ने चिकित्सकों के प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता है पहले दिन से हम यह कहते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके के लिए और हम इसी सिद्धान्त पर आज भी चल रहे हैं यह बात हर व्यक्ति को गाँठ बांध लेनी चाहिये कि आपको जिस प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना है उस प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु प्रचलित नियमों और कानूनों का पालन करना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश है कि प्रत्येक शिक्षित , प्रशिक्षित व प्राधिकृत चिकित्सक अपने चिकित्सा व्यवसाय का पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (अब क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के यहां वैद्य व हकीम एवं होम्योपैथ ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी) के कार्यालय में करेगा उच्च न्यायालय के इस निर्णय आदेश को क्रियान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भी आदेश जारी किये जा चुके हैं तो फिर हम यदि इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो न केवल असवैधानिक कार्य करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना भी करते हैं, हम इसी बात का प्रचार जागरूकता अभियान के द्वारा कर रहे हैं, हम अपने हर कार्यक्रम में आने वाले हर चिकित्सक से यही निवेदन करते हैं कि वह सर्वप्रथम अपना आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में करे चाहे वह किसी भी संस्था का हो, हमारा पहला लक्ष्य चिकित्सकों को संरक्षण देना है, संस्थायें अपने अधिकार व उपयोगिता सक्षम अधिकारी के सामने सिद्ध करेंगी हमें सिर्फ यह सिद्ध करना है कि हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अधिकारी है लेकिन यदि हम पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं तो सबकुछ होने के बावजूद भी झोलाछाप की श्रेणी से अलग नहीं हो पायेंगे इसलिए यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम बिना किसी सोच विचार के वह काम करें जो कि एक अच्छे चिकित्सक के लिए

शेष पेज 3 पर

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया का 41 वाँ स्थपना दिवस हर्षोल्लास सम्पन्न

मुख्य चिकित्साधिकारी करें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन – डा0 इदरीसी

जनपद में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से प्रैक्टिस कर रहे पंजीकृत चिकित्सकों का पंजीयन मुख्य चिकित्साधिकारी अपने कार्यालय में करें। यह मांग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 एम0एच0 इदरीसी ने एसोसिएशन के 41 वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में की।

डा0 इदरीसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुभाग–6 ने दिनांक 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी किया था इस शासनादेश का अनुपालन करवाने हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 ने 2 सितम्बर, 2013 को सभी मण्डलों के अपर निदेशकों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेशित करते हुए निर्देश दिया कि वे 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश का परिचालन व अनुपालन शासकीय आदेशानुसार करें इतने स्पष्ट आदेश के बाद जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारियों को चाहिये कि वे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन करें और जाँच के नाम पर किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ का उत्पीड़न न करें, यदि आवश्यक समझें तो जाँच के कार्य में किसी भी वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथ को शामिल कर सकते हैं साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथों को आगाह भी किया कि केवल अधिकार मिलने से काम नही बनता है जब तक प्राप्त अधिकारों के अनुरूप कार्य न किया जाये।

बैठक को सम्बोधित करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के संयुक्त सचिव श्री मिथलेश कुमार मिश्रा ने चिकित्सकों से कहा कि वह भयमुक्त होकर अधिकार पूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करें और प्राथमिकता के आधार पर पंजीयन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही चिकित्सकों को चाहिये कि उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि न हो जिससे स्वयं अकारण परेशानी में पड़ना पड़े, कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने उपस्थित चिकित्सकों एवं नव पंजीकृत चिकित्सकों से अपील की कि वे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से ही प्रैक्टिस करें इसी में दोनों की भलाई है आपकी प्रैक्टिस सुरक्षित रहेगी एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति का विकास भी होगा।

कार्यक्रम मे डा0 संजय कुमार द्विवेदी, डा0 पारस श्रीवास्तव, डा0 मारिया इदरीसी, डा0 वाई0 आई0 खान, डा0 जी0 डी0 वारसी आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा किया गया।

इलमाई के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर डा0 एम0 के0 मिश्रा संयुक्त सचिव इलमाई प्रदेशों की बात रखते हुये। मंचासीन बायें से दायें क्रमशः डा0 वाई0 आई0 खान एवं इलमाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 एम0एच0 इदरीसी। छाया – गज़ट

कार्यवाही का डटकर ..... पेज 2 से आगे

आवश्यक है, जिन लोगों के मन में ऐसी विचारधारा है कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता नहीं मिलती है और कानून नहीं बनता है तब तक उन्हें किसी पचड़े में नहीं पड़ना है ऐसे व्यक्तियों को आज नहीं तो कल अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा समय रहते विचारों में परिवर्तन कर लेंगे तो सहज रहेंगे यदि कार्यवाही होने के बाद हमारे विचारों से आप सहमत हुए तब आनन्द नहीं आयेगा।

झोलाछाप अभियान के तहत होने वाली जाँचों से आपको घबराना नही चाहिये बल्कि सहर्ष जाँच अधिकारी को सहयोग करना चाहिये और यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इस चिकित्सा पद्धति के लिए बाकायदा शासनादेश जारी है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथ किसी तरह से झोलाछाप की श्रेणी में नहीं आता है।

कभी कभी कुछ प्रकरण ऐसे भी सामने आये है जब आपसी द्वेष के कारण चिकित्सक की शिकायत अधिकारी से की गयी है और यह आरोप लगाया गया है कि चिकित्सा व्यवसाय कर रहा चिकित्सक गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है आरोप कोई किसी पर लगा सकता है उन आरोपों के आधार पर उस चिकित्सक की जाँच भी हो सकती है और यह भी सम्भव है कि यदि शिकायत कर्ता प्रभावशाली है तो अपने मन मुताबिक जाँच की समीक्षा भी करवा सकता है लेकिन इन सबके बावजूद भी जब वास्तविकता सामने आती है और प्रभावी चिकित्सक डटकर मुकाबला करता है तो वह चिकित्सक सफलता की नई इबारत लिखता है लेकिन यह तभी सम्भव होता है जब आप आत्म विश्वास के साथ अपना पक्ष रखें, कभी कभी यह भी हो जाता है कि हमारा चिकित्सक चिन्हित हो जाता है और उस चिकित्सक को पता जब लगता है जब समाचार पत्रों के माध्यम से उसे अपने विरूद्ध कार्यवही किये जाने का संज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में भी संयम नहीं खोना चाहिये बल्कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार को आधार बना कर तत्काल अपना पक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये, अपने आप को कभी भी हीन या लाचार न समझें आप अधिकारी हैं और आपको चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है बशर्ते नियम विरूद्ध कार्य न कर रहे हों।

इन बातों को सदैव मन में रखते हुए कार्य करना चाहिये चूँकि इस तरह की होने वाली कार्यवाही और कार्यवाहियों के उपरान्त प्राप्त परिणामों से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति मज़बूत होगी, यदि 10 –15 साहसी चिकित्सक यदि हिम्मत पूर्वक ऐसी कार्यवाहियों का सामना कर लेंगे तो उसका संदेश सामने वाले अधिकारी पर सकारात्मक जायेगा और एक वह समय भी आयेगा जब अधिकारी किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए कई बार सोचेगा।

आयुष आपके द्वार कार्यक्रम में आते हुये आयुष मंत्री डा0 धर्म सिंह सैनी, हयात ग्रूप के निदेशक मो0 आरिफ़ के साथ डा0 एम0 एच0 इदरीसी –चेयरमैन बी0ई0एच0एम0 यू0पी0 – छाया गज़ट

चिकित्सा शिविरों के क्रम में जौनपुर सबसे आगे

भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट द्वारा 50वाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसका उदघाटन माननीय चौधरी राम जस जी के द्वारा सम्पन्न हुआ, इस चिकित्सा शिविर को जनपद के वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डा0 प्रमोद कुमार मौर्या की देख–रेख में चलाया गया जिसमें सहायक चिकित्सक डा0 नदीम हुसैन एवं डा0 अशोक विश्वकर्मा तथा आकाश मौर्या, चन्दन मौर्या, आशा कार्यकर्ता शशिकला मौर्या ने सक्रीय योगदान किया, शिविर में लगभग 500 मरीज़ों का निःशुल्क परीक्षण एवं औषधियों का वितरण किया गया।

मरीजो का परीक्षण करते हुये जौनपुर के प्रख्यात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डा0 प्रमोद कुमार मौर्या एवं उपस्थित मरीजो की भीड़

कार्यक्रम में भगवानपुर जौनपुर के ग्राम प्रधान द्वारा आभार प्रकट करते हुये सभी शिविर के कार्यकर्ताओ, चिकित्सकों एवं अतिथियों को धन्यवाद दिया।

आयुष आपके द्वार में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की भी भागीदारी

लखनऊ– स्थानीय एक्सपो मार्ट उद्योग केन्द्र, कैन्ट रोड में इन्सटीट्यूट फॉर सोशल हारमोनी एण्ड अपलिफ्मेन्ट (इशू) द्वारा आयुष आपके द्वार के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा कैम्प का आयोजन किया गया जिसका उदघाटन प्रदेश के आयुष मंत्री डा0 धर्म सिंह सैनी द्वारा किया गया, कैम्प में जहां आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा हिजामा के शिविर लगे थे वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का भी एक शिविर बोर्ड के सहयोग से अवध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट, लखनऊ द्वारा लगाया गया था इसमें आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट,रायबरेली की भी सहभगिता रही, कार्यक्रम में बोर्ड के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी, डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा व शिविर में डा0 पी0 आर0 धूसिया तथा डा0 आनन्द ने भी अपना योगदान दिया।

बायें से दायें मु0 खलिद– महासचिव इशू , डा0 अनीस अन्सारी–I.A.S.(R) ,आयुष मंत्री डा0 धर्म सिंह सैनी, डा0 आलोक0 कपूर, डा0 आनन्द (अवध इन्सटीट्यूट लखनऊ), पीछे डा0 पी0 आर0 धूसिया, डा0 पी0एन0 कुशवाहा (आशीष इन्सटीट्यूट रायबरेली), डा0 एम0 एच0 इदरीसी–चेयरमैन B.E.H.M.U.P. तथा डा0 आफताब अहमद हाशमी पूर्व उप निदेशक यूनानी। –छाया गज़ट

धमाचौकड़ी ख़त्म

सारे दावे हुये पूर्ण

28 फ़रवरी

13 जून

9 जनवरी

19 मार्च

एवं

20 जून

के गर्भ में निर्णय

डा0 प्रलयंकर द्वारा स्थापित Indian Electro Homoeopathic Medical Council का स्वर्णजयंती समारोह 19 अगस्त 2018 को शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइन्स निकट कशमीरी गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली में

स्थानीय पंजीयन .... प्रथम पेज से आगे

दोनो अलग अलग बाते हैं मान्यता प्राप्त चिकित्सक यदि चिकित्सा व्यवसाय करते हैं तो उन्हें भी उस राज्य में पंजीयन कराना होता है जिस राज्य में वह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक अपने लिए कैसे अलग रास्ता बताते हैं यदि हम चिकित्सा व्यवसाय हेतु राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करें तो हमें कार्य करने में किसी तरह की कोई असुविधा न होगी, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में जिन चिकित्सकों के साथ घटनायें घट रही हैं निश्चित रूप से वे वह सबकुछ नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिये पहली बात तो अधिकांश चिकित्सक अपनी चिकित्सा पद्धति के प्रति निष्ठावान ही नहीं हैं दूसरी बात यह चिकित्सक कभी भी अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक रूप में घोषित ही नहीं करते हैं, हमारे चिकित्कों को पता नहीं क्यों अपने स्वरूप से स्नेह नहीं है या तो उनमें हीन भावना है या फिर उनका दृष्टिकोण संकुचित हो चुका है।

यदि हम अपने साइनबोर्ड पर यह स्पष्ट उल्लेख करें कि यह क्लीनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की है और इस क्लीनिक को संचालित करने वाला चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथ है तो यकीन मानये आधी समस्या का समाधान तो प्रारम्भ में ही हो जायेगा। अगली समस्या आती है राज्य स्तरीय पंजीयन के साथ साथ स्थानीय पंजीयन की, यदि हम इनकी प्रपूर्ति भी कर देते हैं तो हमें किसी भी तरह की परेशानी करने का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक हम अपने आप को इस रूप में नहीं ढालते हैं तो हमारी परेशानी आसानी से दूर होती नहीं दिखाती, सारी प्रपूर्ति के बावजूद भी यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो इसका स्थानीय स्तर पर पुरज़ोर विरोध होना चाहिये और सामुहिक रूप से अपनी अधिकारिता सिद्ध करनी चाहिये। हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ पूरे अधिकार के साथ प्रैक्टिस करें लेकिन विधि सम्मत ढंग से।

परेशानी आज नहीं कल अवश्य दूर होंगी लेकिन आप द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो जिससे कि परेशानियां स्वयं निमन्त्रित हो जायें, हमारी अपेक्षा है कि हर चिकित्सक सकारात्मक विचारों के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मूल तथ्यों पर विचार करेगा और ऐसी रणनीति बनायेगा जिससे कि कभी पीड़ित न हो ।